राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. क्रिमिनल विविध (याचिका) संख्या 2550/2024

1. जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र धूपचंद शर्मा, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी चारभुजा, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

2. उमा कांत शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी चारभुजा, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. हीरा लाल पुत्र दुर्गा लाल पांचाल, निवासी कुमार मोहल्ला, रावतभाटा, जिला। चित्तौड़गढ़.

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री सिकंदर खान

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एच.एस. जोधा, पी.पी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>29/08/2024</u>

1. यहां आईपीसी की धारा 384, 420 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए पी.एस. रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में दर्ज एफआईआर संख्या 75/2024, दिनांक 17.03.2024 को रद्द करने की मांग की गई है।

2. प्रासंगिक तथ्य, संक्षेप में, यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि श्री आर.बी. शर्मा, जो मेसर्स यूकेएसएसएमई एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड और आरबीएसएसएम आईटी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम और शैली के तहत काम करते हैं और याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता और अन्य श्रमिकों को नौकरी की पेशकश की, उन्हें 20,000 रुपये का अग्रिम भुगतान करने के लिए कहा और इसके अलावा नौकरी मिलने पर 2,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने के लिए कहा। श्रमिकों से कुछ खाली स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा गया। बाद में, प्रतिवादी क्रमांक 2-शिकायतकर्ता और अन्य मजदूरों को इन स्टाम्प पेपरों के आधार पर धमकाया गया। जब उन्होंने स्टाम्प पेपर वापस मांगे, तो उन्हें बदले में 20,000/- रुपये देने को कहा गया। इन आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ खारिज करने की मांग की गई है।

3. इस पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी वकील को सुना है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का कथित स्टाम्प पेपरों से कोई संबंध नहीं है, जो एक अन्य सह-आरोपी श्री आर.बी. शर्मा से बरामद किए गए थे।

4.1 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रंजिश के कारण झूठा फंसाया जा रहा है और आपराधिक कार्यवाही को उनके खिलाफ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए, संबंधित एफआईआर पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

5. एफआईआर को सुनने और उसका अध्ययन करने के बाद, मेरा मानना है कि याचिका को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किया जाना चाहिए।

6. सबसे पहले, विद्वान पीपी से पूछे गए न्यायालयीन प्रश्न पर, यह पता चला कि कथित स्टाम्प पेपर सह-आरोपी आर.बी. शर्मा से बरामद किए गए थे, न कि याचिकाकर्ताओं से। याचिकाकर्ताओं को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। प्राथमिक आरोप स्टाम्प पेपर की बरामदगी के इर्द-गिर्द घूमता है, जो कथित अपराध के लिए महत्वपूर्ण हैं।

7. आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराधों में एक महत्वपूर्ण तत्व मेन्स रीया या आपराधिक इरादे की उपस्थिति है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि याचिकाकर्ताओं का शिकायतकर्ता को धोखा देने या जबरन वसूली करने का कोई इरादा था। एफआईआर में याचिकाकर्ताओं को किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल करने वाले विशिष्ट विवरणों के बिना अस्पष्ट और सामान्यीकृत आरोप हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

8. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाया गया है, लेकिन कोई प्रारंभिक सबूत या आरोप भी नहीं है कि उन्होंने कथित अपराध करने की साजिश रची। याचिकाकर्ताओं और कथित अपराध और/या सह-आरोपी के बीच संबंध न होने की स्थिति में, धारा 120-बी का इस्तेमाल निराधार है।

9. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर उन्हें परेशान करने के लिए पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग प्रतीत होता है।

10. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी निराधार एफआईआर को जारी रखने की अनुमति देना उन्हें अनुचित रूप से आपराधिक अभियोजन/मुकदमे के आघात के अधीन करेगा, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा और उनकी व्यक्तिगत

स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के उनके मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर को रद्द करना उचित मामला है।

11. इस आधार पर, चूंकि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं होता, इसलिए संबंधित एफआईआर को अनिवार्यतः निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

12. इस प्रकार, याचिका स्वीकार की जाती है। थाना रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में पंजीकृत एफआईआर संख्या 75/2024, दिनांक 17.03.2024 तथा परिणामी कार्यवाही निरस्त की जाती है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।